भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1101

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों से गाद हटाना

1101. श्री सुनील कुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नदियों से गाद हटाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वाल्मीकि नगर से होकर बहने वाली गंडक नदी से गाद हटाने के लिए कोई कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गंडक नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जलोढ़ नदियों में अपरदन और गाद का जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नदियाँ अपने स्थिति जैसे नदी में निर्वहन, नदी का ढलान, आकृति विज्ञान, गाद की प्रकृति आदि के अनुसार गाद लाली और ले जाती और जमा करती है। जल निकासी संकुलन को दूर करने के लिए नदियों के विशिष्ट क्षेत्रों में ड्रेजिंग सहित गाद निकालने, चैनल क्षमता सुधार और नौचालन उद्देश्य से संबंधित उपाय राज्यों/एजेंसियों द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं।

समग्र रूप से तलछट के प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संध राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श से "तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा" (एनएफएसएम) तैयार किया है। इस ढांचे में एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर बल दिया गया है। इसमें तलछट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/नीतियों का संदर्भ दिया गया है। यह ढांचा संबंधित हितधारकों जैसे राज्य सरकारों, अन्य मंत्रालयों, विभागों आदि को पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर उचित विचार करते हुए रणनीतियों की योजना बनाने में और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगा।

(ख) और (ग): बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गाद हटाने के लिए वर्ष 2019-20 में गंडक बैराज, वाल्मीकि नगर के उर्ध्वप्रवाह में गंडक नदी की ड्रेजिंग/गाद निकालने का कार्य किया गया है जिसके अतंर्गत 1,68,464 घनमीटर मात्रा में गाद हटाई गई है।

(घ) और (ङ): बाढ़ से हुई क्षति के नदी-वार आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं, तथापि, बाढ़ क्षति संबंधी राज्य-वार आंकडे संबंधित राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संकलित किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों अर्थात वर्ष 2019 से 2021 तक बिहार से संबंधित बाढ़ क्षति के आंकड़े **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

****

अनुलग्नक

"नदियों से गाद निकालने" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1101 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बिहार राज्य में बाढ़ से हुई क्षति को दर्शाने वाला विवरण (वर्ष 2019-2021 के दौरान)

क्र.सं.	वर्ष	प्रभावित क्षेत्र	प्रभावित आबादी	फसलों को हुआ नुकसान		घरों को हुआ नुकसान		मृत मवेशियों की	मृत लोगों की	सार्वजनिक उपयोगिताओं को हुआ नुकसान	फसलों, घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं को हुआ कुल नुकसान
		मिलियन हेक्टयर में.	मिलियन में	क्षेत्र मिलियन हेक्टयर में	मूल्य करोड़ रुपए में	संख्या.	मूल्य करोड़ रुपए में	संख्या.	संख्या.	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
1	**2019**	1.061	14.94	0.357	446.63	45161	27.95	183	300	167.50	642.08
2	**2020**	0.77	10.23	0.52	727.88	18775	11.70	133	62	70.62	810.19
3	**2021**	1.00	8.26	0.65	929.60	12289	10.24	99	70	5505.02	6444.86

*****